पत्रांक – मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-12/2012........1258

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना-15, दिनांक-26 सितम्बर, 2012

विषय :- राज्य सरकार के निगमों/लोक उपक्रमों/समितियों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों की संचिकाएँ विभाग को भेजे जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न निगमों/लोक उपक्रमों/समितियों का गठन स्वायत्तशासी संस्थानों के रूप में विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया है तथा इसके लिए वे स्वतंत्र रूप से कार्य करने तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सक्षम है। ऐसे स्वायत्तशासी संस्थानों के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन/मेंमोरेन्डम ऑफ एसोशिएसन पर राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद उन विशिष्ट मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में ऐसे संस्थान अपने कार्य सम्पादन हेतु पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। राज्य सरकार प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य मामलों में नीतिमूलक निदेश देने में सक्षम है। परन्तु उसका यह तात्पर्य नहीं कि विभाग द्वारा निगम के दैनन्दिक (Routine) कार्यो के सम्पादन हेतु भी निदेश दिया जा सकता है।

2. इस परिप्रेक्ष्य में निगमों/लोक उपक्रमों/समितियों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों की संचिकाएं प्रशासी विभाग द्वारा मांगे जाने के संबंध में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

(i) विभाग द्वारा ऐसे संस्थानों की संचिकाएँ नहीं मांगी जाएगी। परन्तु विभाग द्वारा किसी मामले पर प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) यदि किसी मामले विशेष में राज्य सरकार के स्तर पर गम्भीर आरोप आदि के संबंध में जाँच का निर्णय लिया जाता है, तो संबंधित संचिका जाँच हेतु जाँच दल को ऐसे संस्थानों के कार्यालय में उपलब्ध करायी जाएगी।

3. आपसे अनुरोध है, उपर्युक्त निदेशों के आलोक में कार्रवाई की जाए तथा आपके विभाग के अधीनस्थ बोर्ड/निगम/लोक उपक्रमों/समितियों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों को भी तदनुसार अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन
(ह०)
(रविकान्त)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- *मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-12/2012*.....1258..../*दिनांक*- 26 *सितम्बर, 2012*

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/माननीय उपमुख्यमंत्री के आप्त सचिव/सभी माननीय मंत्रीगण एवं सभी माननीय राज्यमंत्रीगण के आप्त सचिवों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे माननीय मुख्यमंत्री/माननीय उप मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय राज्य मंत्रिगण को उपर्युक्त मार्गदर्शन से अवगत करा देंगे।

ह0/-

(रविकान्त)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- *मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-12/2012*......1258......../*दिनांक*- 26 *सितम्बर, 2012*

प्रतिलिपि :- सभी अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, राजकीय निगमों/लोक उपक्रमों/समितियों तथा अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 26/9/12

(रविकान्त)

सरकार के प्रधान सचिव

30